

28/7/22

पत्रावली पेश हुई। पार्टी के अधिकारियों ने
उपस्थित होकर निवेदन किया कि वह उक्त
पुकारण प्रत्याहीत / Not Press करना चाहते
हैं तथा कृपया के विलंब कार्रवाई नहीं चाहते
हैं अतः पार्टी द्वारा उक्त पार्टी पत्र भर्तनी
धारा 14 सरप्रेसी एक्ट 2002 इसी स्टेज पर
स्वारिज किया जाता है। पत्रावली फंसलु शुभार
होकर दायिनु दफ्तार है।

Not Press
Puker
शिके संपीकार
28/7/22

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)